

क्रमांक 3317002/छ.ग./2017/
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /04/2018

प्रति,

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)।

विषय :- सहायक अभियंता (सिविल) से कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर संशोधित पदोन्नति शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक 01-165/31/स्था./2006 दिनांक 12.04.2018.

विषयांतर्गत शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। कृपया संबंधित श्री शाहिद शेख, सहायक अभियंता (सिविल) को संशोधित पदोन्नति शासनादेश की प्रति सौंपकर पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 3317002/छ.ग./2017/ 7306
प्रतिलिपि :-

दिनांक 27/04/2018

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेन्टर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
3. संबंधित श्री शाहिद शेख, सहायक अभियंता (सिविल) द्वारा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
4. मास्टर नस्ती।
की ओर शासनादेश की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र.-02 एवं 04 हेतु)

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
// संशोधन आदेश //

227

नया रायपुर, दिनांक

क्रमांक 01-165/31/स्था/2006 :: इस विभाग के जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 05.07.2017 में संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री शाहिद शेख, सहायक अभियंता (वरिष्ठता क्रमांक 51) को उनके वरिष्ठ पदोन्नत कार्यपालन अभियंता श्री डी.एन. रहंगडाले के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नीचे वरिष्ठता निर्धारित करते हुए, कार्यपालन अभियंता के पद पर, स्थानापन्न रूप से, वेतनमान रुपये 10,000-325-15,200/- में पदोन्नत करता है।

2/ यह पदोन्नति "कार्य नहीं वेतन नहीं No Work No Pay" के सिद्धांत पर होगी।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजीव अहिरे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 12/04/2018

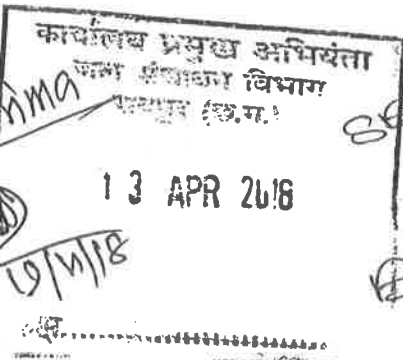
पृ.क्रमांक 01-165/31/स्था/2006

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
 2. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
 3. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 4. निज सचिव, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 5. आयुक्त कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर।
 6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
 7. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
 8. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर।
 9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर।
 10. श्री शाहिद शेख, सहायक अभियंता द्वारा- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
 11. आदेश फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग



13.4.18

331/332
17.4.18

आवंक क्रमांक 3914
दिनांक 18-4-18